समाचार-प्रकाशनार्थ:-

कलेक्टर एवं प्रषासक प्रत्येक षनिवार को नागरिकों की सुनेंगे षिकायत

रतलाम 20 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम नागरिकों की नगर निगम से संबंधित शिकायतें 21 अगस्त से प्रति शनिवार सांय 04ः00 से 05ः00 बजे तक निगम सभागृह में सुनेंगे व शिकायतों का निराकरण करवायेंगे।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने इस हेतु निगम के समस्त विभाग प्रमुखए समस्त विभागीय मुख्य लिपिक व कम्प्यूटर आपरेटरों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने विभागों से संबंधित समस्त जानकारी के साथ 21 अगस्त से प्रत्येक शनिवार को निर्धारित समय के पूर्व कार्यालय में उपस्थित रहें ताकि प्राप्त शिकायत या समस्या का निराकरण तत्समय किया जा सकें।

ड्रेस कोड में नहीं आने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 20 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि 23 अगस्त सोमवार से अपने कर्तव्य स्थल पर श्रेणीवार डे्रस कोड में उपस्थित होवें अन्यथा संबंधितो के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि शासन द्वारा नगर निगम में कार्यरत् अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु श्रेणीवार डे्रस कोड निर्धारित किया है किन्तु अधिकांश अधिकारी एवं कर्मचारिया अपने कर्तव्य स्थल पर डे्रस कोड में उपस्थित नहीं हो रहे है। 23 अगस्त सोमवार से श्रेणीवार डे्रस कोड में नहीं आने वाले अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

20 अगस्त को 78 टन कचरा जुलवानिया पंहूचा

रतलाम 20 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 20 अगस्त शुक्रवार को 78 टन कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

20 अगस्त शुक्रवार को डम्पर व टेªक्टर ट्रॉली से 38155ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 22295ए काम्पेक्टर गीला 15100ए मैजिक 2450 किलो इस तरह कुल 78000 किलो कचरा जुलवानिया टेªचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

8 उचित मूल्य की दुकानों पर बनेगें आज आयुष्मान कार्ड

नगर निगम द्वारा अब तक 7131 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

रतलाम 20 अगस्त। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत ष्निरामयम’ ’ योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड वार्डो की उचित मूल्य की दुकानों पर बनाये जा रहे हैं।

21 अगस्त शनिवार को जयभीम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सुभाष नगरए अभिजीत प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार तेजा नगरए विवेकानन्द प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार थावरिया बाजारए चारभुजा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार जवाहर नगरए माधव प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार शक्ति नगरए गंगोत्री महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार जाटो का वासए राधिका महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार कसारा बाजार व घनश्याम प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार लक्ष्मणपुरा में पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे।

20 अगस्त शुक्रवार को उक्त उचित मूल्य की दुकानों पर 19 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 7131 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडीए आधार कार्डए खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ उक्त उचित मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

निगम से संबंधित करो की बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें

रतलाम 20 अगस्त । षासन निर्देषानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19द्ध वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमीए उद्योग-धन्धे में गिरावटए सर्विस सेक्टर आदि में षिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करोंए उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राषि एक मुष्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में 31 अगस्त 2021 तक छूट दी जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६ ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६ ;रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000६ ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 1ए00ए000६ ;रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राषि रूपये 10ए000६ ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000६ ;दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50ए000६ ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६ ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 20ए000६ ;बीस

हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूटए अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 20ए000ध् ;बीस हजार) से 50ए000ध् ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 50ए000ध् ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राषि नगर निगम कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

12468 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 20 अगस्त । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 20 अगस्त तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1268 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 20 अगस्त को डोंगरे नगरए कस्तुरबा नगरए सज्जन मिल रोडए अलकापुरी

आदि क्षेत्रों से 7 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500६ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

नगर निगम के पंेषनरो को देना होगा जीवित प्रमाण-पत्र

रतलाम 20 अगस्त । संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण-पत्र लिया जावेगा।

नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।

पथ विक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त निगम के झोन कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 20 अगस्त । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10ए000६ का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉलए डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्डए अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 20 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिश्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 20 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों मंे वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 20 अगस्त । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम द्दढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डो की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले-नालियों आदि

समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/20ण्08ण्2021ध्न.पा.निगमए रतलाम.